न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/52/2014

उनवान

1. मोहन सिंह पिता नाथू सिंह राजपूत निवासी जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा के कायम मुकाम :–
   रघुवीर सिंह पिता स्व0 मोहन सिंह राजपूत निवास जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. शिवसिंह पिता शम्भू सिंह राजपूत निवासी जीवलिया
3. चावण्ड सिंह पिता शम्भू सिंह राजपूत निवासी जीवलिया
4. गंगा सिंह पिता शम्भू सिंह राजपूत निवासी जीवलिया
5. छोटू सिंह पिता शम्भू सिंह राजपूत निवासी जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पिता नवलसिंह राजपूत निवासी जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. लादू सिंह पिता नवल सिंह राजपूत निवासी जीवलिया
3. मीठू सिह पिता सांवत सिंह राजपूत निवासी जीवलिया
4. श्रीमती रूपकंवर पत्नी दलेल सिंह राजपूत निवासी जीवलिया
5. देवकंवर पुत्री नंद सिंह राजपूत नाबालग जरिये संरक्षक माता श्रीमती धनकंवर पत्नी नंद सिंह राजपूत निवासी जीवलिया
6. प्रिताकंवर पुत्री नंद सिंह राजपूत नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती धनकंवर पत्नी नंद सिंह राजपूत निवासी जीवलिया
7. हेमकंवर पुत्री दंन सिंह राजपूत नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती धनकंवर पत्नी नंद सिंह राजपूत निवासी जीवलिया
8. श्रीमती धनकंवर पत्नी नंद सिंह राजपूत निवासी जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 307/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.9.2011

अधिवक्तागण :—

1. श्री विपुल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री संजय सेन ,अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 18.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जीवलिया पटवार हल्का जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा के साबिक राजस्व रेकार्ड संवत 2036 से 2039 तक में वादीगण के पिता श्री नवल सिंह पिता नाथू सिंह राजपूत के नाम पर निम्न आराजियात खातेदारी के रूप्में दर्ज थी :—

आराजी नम्बर 132 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 133 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 134 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 233 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 234 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 235 रकबा 3 बीघा,कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा स्थित थी। उक्त आराजियात पर वादीगण के पिता एवं वादीगण क्रमशः तत्कालीन समय से वर्तमान समय तक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त खातेदारी शुदा भूमि को रिसटेलमेण्ट के दौरान भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो द्वारा बिना किसी हक अधिकार के वादीगण के पिता के खातेदार होते हुए भी प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज कर दी जो कि कानूनी मंशा के विपरीत किया गया कृत्य है।

2. उक्त खातेदारी आराजियात के नये नम्बर 251, 252, 240, 237, 238, 239, 236, 406, 407, 408, 409 कायम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किये गये जो कि पूर्णतया मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्णित है। उक्त नये आराजी नम्बर जमाबंदी संवत 2063 से 2065 में मात्र आराजी नम्बर 239 व 251 को छोडकर शेष सभी आराजियात प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी रूप से दर्ज कर दी गई है तथा आराजी नम्बर 240 व 407 को बिलानाम के रूप में दर्ज कर दिया गया है। सेटलमेण्ट के कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज किया जाना पूर्णतया कानून की भूल का परिणाम है। जिसे पुनः वादीगण के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण से इन्द्राज दुरूस्ती की दिनांक 19.11.2008 को सहमति चाही तो वे उग्र हो गये व लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये । अतः वादग्रस्त आराजियात जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई है को वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज कराई जावे । प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलाण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की यथासमय अपीलार्थीगण को नहीं हो सकी थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की प्रोपर तामील नहीं हो सकी थी। दिनांक 2.1.2014 को जब वादीगण लक्ष्मण सिंह व लादू सिंह ने अपीलार्थीगण को स्वयं के हिस्से की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की एवं बताया कि सारी भूमि हमारे नाम पर हो गई । तब अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय से निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एंवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जीवलिया की साबिक आराजी नम्बर 132, 133, 134, 233, 234, 235 कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 0 बिस्वा वादीगा के पिता के नाम पर दर्ज थी। उक्त आराजियात के भू प्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी नम्बर 251, 252, 240, 237, 238, 239, 236, 406, 407, 408, 409 कायम किये गये । जिसमें से आराजी नम्बर 239 व 251 को वादीगण के नाम पर दर्ज किया गया शेष सभी आराजियात का प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज कर दी तथा आराजी नम्बर 240 व 407 को बिलानाम के रूप में सरकार के खाते में दर्ज कर दिया गया । जिसे पुनः वादीगण ने अपने नाम दर्ज कराने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । जिसकी प्रोपर तामील प्रतिवादी पर नहीं हुई । फिर भी वादीगण ने किसी फर्जी मोहन सिंह को कोर्ट में लाकर उसके हस्ताक्षर आदेशिका पर करवा लिये तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता मुनीर गनी का अधिकार पत्र प्रस्तुत करने की अण्डर टेकिंग करवा दी। जबकि सम्मन/नोटिस की प्रोपर तामील नहीं होने के कारण कोई भी प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादीगण की प्रोपर तामील नहीं होने के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की तामील मान ली और फर्जी तरीके से उनकी हाजरी अधिकार पेश कने की अण्डर टेकिंग के मार्फत करवा दी। दिनांक 2.4.2009 को यह आदेशिका लिखी गई कि प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित विधिवत आवाजें लगवाई गई, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 अनुपस्थित गत पेशी पर उक्त प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुनीर गनी शेख ने उपस्थित होकर अण्डर टेकिंग दी । आज श्री शेख ने प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं कराना चाहा । प्रतिवादीगण को आवाजें लगवाई गई लेकिन गैर हाजिर होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। दिनांक 16.7.2009 की पेशी पर प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा जाने से मिसल वास्ते शहादत वादी में नियत कर दी गई। यद्यपि वादीगण ने इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया कि प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं और न ही प्रतिवादी संख्या 7 ने कोई जवाब दावा ही पेश किया । दिनांक 10.9.2009 से पत्रावली साक्ष्य वादी में चलती रही और बार–बार वकील वादी द्वारा साक्ष्य पेश कने हेतु अवसर चाहा गया जो दिया जाता रहा । दिनांक 12.9.2011 की पेशी पर वकील वादीगण की इस्तदुआ पर प्रकरण में एकतरफा बहस सुनी गई और उसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय एवं पारित कर दी गई। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्याालय ने किसी भी साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जबकि विधि अनुसार साक्ष्य ग्रहण करने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्शित के उपरान्त ही प्रकरण में उसको पढा जा सकता है। उसके उपरान्त ही निर्णय पारित किया जा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सकता है। इससे विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो खारिज योग्य है।

8. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मोहन सिंह के जो हस्ताक्षर हो रहे हैं वह फर्जी हस्ताक्षर है। प्रतिवादी मोहन सिह पर सम्मन की प्रोपर तामील नहीं हुई एवं न ही प्रतिवादी मोहन सिंह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए । मोहन सिंह के सही हस्ताक्षर अपील मेमो पर अधिकार पत्र पर किया गया है।

9. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि स्व0 नाथू सिह जी के पांच पुत्र नवल सिंह, सांवत सिंह, मोहन सिंह, शंभू सिह, दलेल सिंह थे। साबिक बन्दोबस्त की आराजियात किता 6 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा भूमि नाथू सिंह जी की संयुक्त परिवार की आय से बनाई गई थी किन्तु बडा पुत्र होने से उक्त भूमि केवल नवल सिंह के नाम पर दर्ज की गई किन्तु कब्जा पांचों भईयों का इस 9 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर शामलाती में चलता रहा और नवीन बन्दोबस्त होने पर वादीगण व उनके पिता एवं प्रतिवादीगण ने अपने–अपने हिस्से की भूमि का खाता अलग–अलग करवा लिया। सेटलमेण्ट विभाग ने कब्जे की पूरी जानकारी करके और वादीगण व उनके पिता व अन्य हिस्सेदारों की सहमति से ही खाते अलग–अलग किये थे जिसमें से आराजी नम्बर 251, 239 वादीगण के हिस्से में रखी गई और आराजी नम्बर 252, 238 मोहन सिंह जी के , आराजी नम्बर 237 शंभू सिंह जी के, आराजी नम्बर 409 , 406 नंद सिंह, रूप कंवर, के आराजी नम्बर 408 मीठूसिंह व उगा कंवर के हिस्से में रखी जाकर खाते अलग–अलग कर दिये गये। व आराजी नम्बर 240 व 407 किता 2 रकबा 0.28 हे0 बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई। इस प्रकार वादीगण व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उनके पिता की स्वीकारोक्ति से ही उक्त खाते अलग–अलग किये गये जिससे अब वे मुकर नहीं सकते हैं।

10. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि दौराने विचारण वाद प्रतिवादी शंभू संह व नंद सिह का देहान्त हो गया था किन्तु वादीगण ने उनके वारिसान को पक्षकार बनाकर रेकार्ड पर नहीं लिवाया गया जिससे वाद पत्र स्वतः ही अबेट हो जाने से निरस्त योग्य है।

11. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि नवल सिंह जी का करीब 25 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया था । उनके जीवन काल में व उनके देहान्त के बाद भी सन् 2008 तक वादीगण ने प्रतिवादीगण के कब्जे व अधिकार के बारे में कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में वादीगण स्टोप्ड होने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय में विचारण नहीं हो सका। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से वे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

12. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को नोटिस की प्रोपर तामील हुई थी। प्रतिवादी संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय मे स्वयं दिनांक 5.2.2009 को उपस्थित हुए एवं उन्होनें अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर भी आदेशिका पर करवाये गये हैं तथा शेष प्रतिवादीगण की ओर से श्री मुनीर गनी शेख उपस्थित हुए तथा पावर व जवाब दावा का अवसर चाहा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का यह कथन कि प्रतिवादीगण पर नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई है तर्कसंगत नहीं है। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है परन्तु अपीलार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, दस्तावेज एवं वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

13. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का यह भी निवेदन है कि मोहन सिंह के अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में फर्जी हस्ताक्षर होने का कोई कथन नहीं किया है कि उसके स्थान पर फर्जी व्यक्ति को खडा किया गया था। जहॉ तक शंभू सिंह व नंद सिंह की मृत्यु होने का प्रश्न है । अपीलार्थी द्वारा उनके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। वादग्रस्त आराजी नवल सिंह की खातेदारी अधिकार की थी। नवल सिंह की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त आराजी लक्ष्मण व लादू के नाम पर दर्ज की गई। उस समय अपीलार्थीगण को आपत्ति दर्ज करानी चाहिये थी। जो उनके द्वारा दर्ज नहीं कराई गई थी। सेटलमेंण्ट विभाग को राजस्व विभाग के अंकन को बदलने का कोई अधिकार नहीं था। अपील में अन्य सहखातेदार नहीं आये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मिया अधिनियम स्वीकार कर अपील अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 19.12.2008 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। आदेशिका दिनांक 5.2.2009 की आदेशिका में अंकित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित तथा शेष प्रतिवादीगण की ओर से श्री मुनीरगनी शेख उपस्थित । पावर व जवाब दावा का अवसर चाहा । प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 2.4. 2009 नियत की गई। तारीख दिनांक 2.4.2009 को प्रतिवादी संख्या 1 की अनुपस्थिति दर्ज की गई एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 अनुपस्थित एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित दर्ज नहीं कराना चाहा। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उसके उपरान्त प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत रहा। दिनांक 12.9.2011 को प्रकरण में वकील वादीगण की इस्तदुआ पर एकतरफा बहस सुनी गई एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई।

16. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सम्मन जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2008 को जारी किये गये । उनका अवलोकन किया गया । प्रतिवादी मोहन सिंह पिता नाथू सिंह, नन्द सिंह पिता दलेल सिंह, शंभू सिंह पिता नाथू सिंह, को जारी सम्मन की पुश्त पर बालू राम बलाई द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। उसके उपरान्त नोटिस की तामील की रिपोर्ट से यह तथ्य भलीभॉति साबित होता है कि तामील कुनिन्दा द्वारा तामील होने की रिपोर्ट अंकित की गई है। नोटिस प्राप्त करने वाले का नाम व उसका प्रतिवादी के साथ क्या रिश्ता था इसका कोई अंकन नही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया है। प्रतिवादी उगा कंवर का नोटिस नरपत सिंह एवं रूप कंवर प्रतिवादिया का नोटिस भॅवर सिंह द्वारा प्राप्त किया गया । उक्त नोटिस प्राप्त कर्ता का प्रतिवादी के साथ क्या रिश्ता है इसका अंकन नहीं किया गया है । उक्त सम्मन प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 मोहन सिंह की उपस्थिति दर्ज करते हुए मोहन सिंह के हस्ताक्षर भी कराये गये । शेष प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुनीर गनी शेख ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए जवाब दावा एवं पावर प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न नोटिस का अवलोकन करनेसे यह तथ्य पूर्णतया साबित है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रोपर तामील अपीलार्थीगण पर नहीं हुई थी।

17. अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में दौराने विचारण वाद शंभू सिंह व नंद सिंह की मृत्यु हो चुकी थी एवं उनके वारिसान को प्रकरण में कायम मुकाम दर्ज नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में वाद पत्र ही अबेट हो जाता है।

18. चूंकि मूल वाद में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण पर पक्षकारों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाना वांछित होता है। अपीलाधीन मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में प्रतिवादीगण को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हो पाई थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री मुनीर गनी शेख द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । ऐसी स्थिति मे यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने नोटिस की तामील होने के उपरान्त अपनी ओर से अधिवक्ता श्री मुनीर गनी शेख को नियुक्त किया हो।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण में शंभू सिंह व नंद सिंह की मृत्यु होने के उपरान्त उनके वारिसान को कायम मुकाम भी बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा मृतक शंभू सिंह व नंद सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि अपील मेमो के साथ अपीलार्थीगण ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन किया है। चूंकि अपीलाधीन मामले में अधीनस्थ न्यायालय में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में प्रतिवादीगण /अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के अभाव में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

19. अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.9.2011 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 9/1/19 को उपस्थित रहें।

20. निर्णय आज दिनांक 18.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

18/9/18

भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा